रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2017/माघ 26, 1938
No. 56] NEW DELHI, WEDNESDAY FEBRUARY 15, 2017/MAGHA 26, 1938

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 14 फरवरी, 2017

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता)

(संशोधन) विनियम, 2017

सं. सेबी / एल.ए.डी. /एन. आर. ओ./जी. एन. / 2016-17/032.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2015 में, -

(I) विनियम 4 में, खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्-

"(ग) नगरपालिका की, ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी वर्ष में, उसके आय-व्यय संबंधी विवरण के अनुसार अधिशेष आय हो, या कोई अन्य वित्तीय मानदंड जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँ:

परंतु यह कि ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी वर्ष में कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) ऋणात्मक (नेगेटिव) न रही हो।""

(II) विनियम 4 में, खंड (घ) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्-

"(घ) पिछले तीन सौ पैंसठ दिनों के दौरान, नगरपालिका ने ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) की अथवा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधारों की चुकौती (प्रतिसंदाय / रीपेमेंट) करने में चूक न की हो:

परंतु यह कि जहाँ निर्गमकर्ता (इश्युअर) कारपोरेट म्युनिसिपल एंटिटी हो, वहाँ खंड (ख) एवं (घ) में दी हुई अपेक्षाओं का पालन उस नगरपालिका द्वारा किया जाएगा जिसका वित्तपोषण किया जा रहा हो।"

यू.के. सिन्हा , अध्यक्ष

[विज्ञापन-III /4/असा./417/16 (69जैडबी)]

पाद टिप्पण :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/006, 15 जुलाई 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th February, 2017

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES BY MUNICIPALITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/032.— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities) Regulations, 2015, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities) (Amendment) Regulations, 2017.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities) Regulations, 2015,-

(I) In regulation 4, for clause (c), the following shall be substituted, namely-

"(c) municipality shall have surplus income as per its Income and Expenditure Statement, in any of the immediately preceding three financial years or any other financial criteria as may be specified by the Board from time to time.

Provided that a corporate municipal entity shall not have negative net worth in any of immediately preceding three financial years."

(II) In regulation 4, for clause (d), the following shall be substituted, namely-

"(d) municipality shall not have defaulted in repayment of debt securities or loans obtained from banks or financial institutions, during the last three hundred and sixty five days:

Provided that where the issuer is a corporate municipal entity, the requirements at clauses (b) and (d) shall be complied by the municipality which is being financed."

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./417/16(69ZB)]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on July 15, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/006.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.20 12:21:48 +05'30'